भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1997

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

विधि आयोग की 197वीं रिपोर्ट का कार्यान्वयन

1997 श्री अविनाश पांडे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) लोक अभियोजक (सरकारी वकील) की नियुक्ति के संबंध में 31 जुलाई, 2006 को प्रस्तुत की गई भारतीय विधि आयोग की एक सौ सत्तानवेवीं की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसमे की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत अथवा अनुमोदित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग): चूंकि दंड विधि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, अतः भारतीय विधि आयोग की 197 रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित की गई थी। विधि आयोग की सिफारिशों पर टिप्पणियां देते समय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपनी स्वयं की टिप्पणियां/ सिफारिशें भी संसूचित की। मामलों पर कोई अंतिम अभिमत नहीं लिया गया है।

तथापि, सरकार, प्रस्तावित परिवर्तनों पर व्यापक सहमति और आवश्यकता के अनुसार दाण्डिक न्याय प्रणाली में सुधारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

*****